THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) It was a general discussion covering the relationship between the countries in the context of international peace and cooperation.

Purchase of Airbus by Indian Airlines

3281. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) when will Indian Airlines receive the airbuses which were supposed to be delivered to them;

(b) have these deliveries been keeping the schedule as envisaged earlier; and

(c) if not, what are the reasons for the delay?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIV RAJ PATIL): (a) 19 Airbus A-320 aircraft are scheduled to be delivered to Indian Airlines during 1989-90.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

Closing of Celleges on Saturdays of Delhi University

3282. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the names of the colleges in North and South Campus in Delhi University which observe Saturdays as closed holidays;

(b) what are the reasons for which all the Colleges do not uniformly remain closed on Saturdays; and

(c) what steps are being taken to ensure that the students of these colleges do not suffer due to the closure on Saturdays?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली प्रशासन के प्रौढ़ विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों और स्नातकोत्तर अध्यापकों की नियुक्ति

3283. **श्री राम नरेश यादव**: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1981 में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के अधीन सरकारी सेकेण्डरी और सीनियर सेकेण्डरी प्रौढ़ विद्यालयों में स्थायी अंशकालिक प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (टी०जी०टी०) और स्नातकोत्तर अध्यापक (पी०जी०टी०) के पदों पर प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया गया था, यदि हां, तो क्या इन विद्यालयों में नियमित और सेवानिवृत्त अध्यापक भी कार्य कर रहे है;

(ख) क्या नियमित अध्यापकों और स्थायी अध्यापकों और अंशकालिक अध्यापकों के कर्तव्य और विभाग एक जैसे ही हैं; यदि हां, तो क्या इन विद्यालयों में सभी अध्यापकों को समान वेतन और समान सुविधाएं मिल रही हैं; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विभाग ने इन अध्यापकों के लिए कोई योजना तैयार की है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है और ये अध्यापक कब तक नियमित हो जाएंगे और स्थायी अध्यापकों के बराबर सुविधाओं के हकदार हो जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार कुछ शिक्षकों को अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया गया था और कुछ सेवा-निवृत्त शिक्षकों को प्रौढ़ सांयकालीन स्कूलों में लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के प्रत्येक स्कूल में नियमित वेतनमान वाला एक शिक्षक की व्यवस्था की गई थी। जबकि अंशकालिक शिक्षकों को सांय 6.30 बजे से स्कूल में उपस्थित होना अपेक्षित है, वहां पर एक नियमित शिक्षक की जिम्मेदारी होगी कि वह दाखिला और अपना नाम वापिस लेने वाले व्यक्तियों आदि के रिकार्ड रखे और उसे सांय 4.30 बजे स्कूल में पहुंचना अपेक्षित होता है। स्पष्टतया, उनमें वेतन और सुविधाओं की कोई समानता नहीं हो सकती।

(ग) जी, नहीं। तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, अंशकालिक शिक्षकों को यह अनुमति है कि जब कभी भी किसी एक विशेष श्रेणी/विषय के लिए साक्षात्कार लिए जाते हैं, तो वे नियमित वेतनमान में नियुक्ति के लिए चयन-बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं।

गण्डक नदी पर छितौनी पुल का निर्माण

3284. **श्री राम नरेश यादव** : क्या रेल मंत्री 17 अगस्त, 1988 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 286 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छितौनी बगहा के बीच रेल सम्पर्क को तथा गण्डक नदी पर पुल के निर्माण-कार्य को आज तक पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह कार्य 1989 के अन्त तक पूरा कर दिये जाने का विचार है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) 1973 में सिंचाई मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि गण्डक नदी पर पुल के निर्माण के लिए रेलें गण्डक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति की सिफारिशों पर छितौनी में स्थापित किये जाने वाले बाढ़ नियंत्रण स्थल का लाभ उठा सकती हैं। पुल के खर्च में सिंचाई मंत्रालय, उत्तर प्रदेश व बिहार सरकार तथा रेल मंत्रालय द्वारा भागीदारी की जानी थी।

1983 में जब योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया और लागत अद्यतन की गयी, तो सिंचाई मंत्रालय बढ़ी हुई लागत के हिस्से को वहन करने के लिए सहमत नहीं हुआ। बिहार सरकार ने भी भागीदारी से इन्कार कर दिया और अपनी जमा राशि की वापसी की मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि वह बढ़ी हुई लागत का हिस्सा वहन करने को सहमत है बशर्ते कि अन्य पार्टियां भी सहमत हों। सिंचाई मंत्रालय तथा बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए रुख को देखते हुए योजना आयोग ने यह परियोजना बन्द करने की सिफारिश की थी।

योजना आयोग ने हाल ही में प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं की पुनः जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा है।

पूर्व रेलवे की रेल लाइनों का विकास

3285. **श्री राम नरेश यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहगंज से मऊ, इन्दारा, बलिया, और वाराणसी औढ़ीहार, बलिया, छपरा, तक की छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिये एक सर्वेक्षण किया गया था, यदि हां, तो इन परियोजनाओं का कार्य आरम्भ करने में पेश आ रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि यात्रियों की